जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः–जविप्रा/लेखा/आर सी आर/2014/डी– 6 दिनांक 5.1.15

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश क्रमांक डी–478 दिनांक 04.12.2014 के द्वारा भू नियमन कैम्पों में डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के रूप में राशि प्राप्त कर उसी दिवस में पट्टा विलेख जारी करने की प्रकिया निर्धारित की गई थी। केवल कैम्पों में प्राप्त डिमांड ड्राफ्ट एवं बैंकर्स चैक को नकद राशि मानते हुए पट्टा विलेख जारी किया जावे।

यह भी स्पष्ट किया जाता है भूखण्डधारियो द्वारा जमा कराये गये बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक की राशि यदि नियमानुसार लेय राशि से कम है तो शेष राशि नकद जमा कराई जावे और यदि बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक की राशि लेय राशि से अधिक है तो आधिक्य राशि रिफण्ड की जावे। रिफण्ड आदेश पट्टा विलेख जारी करने के साथ ही जारी किये जावें।

उपरोक्त की भाँति ही प्राधिकरण की देय राशि यदि ऑन लाईन जमा कराई गई है तो ऑन लाईन जमा की प्राप्ति राशि की रसीद को नकद राशि जमा मानते हुए नियमन शिविर में पट्टा विलेख जारी किया जावें

यह आदेश जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त से पुष्ट है।

(पवन अरोडा)
सचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, आयुक्त जविप्रा।
2. निजी सचिव, सचिव जविप्रा।
3. निदेशक (वित्त)/अभि. I,II/टी.पी./लॉ, जविप्रा।
4. अति आयुक्त (प्रशासन/पूर्व/एलपीसी/पुनर्वास/भूमि/पृथ्वीराज नगर, जविप्रा।
5. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय/सिस्टम मैनेजमेन्ट), जविप्रा।
6. अति मुख्य नगर नियोजक (बीपीसी/एम.पी–प्रथम/द्वितीय) जविप्रा।
7. अति. निदेशक (राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण), जविप्रा।
8. विशेषाधिकारी (संसाधन एवं विकास) जविप्रा।
9. समस्त उपायुक्त जोन ..../प्रशासन/स्टोर/वाहन, जविप्रा।
10. संयुक्त पंजीयक (सहकारिता), जविप्रा।
11. मुख्य लेखाधिकारी (पी एण्ड ए)/उपनिदेशक (व्यय एवं बजट)/व. लेखाधिकारी (भुगतान), जविप्रा।
12. अधिशाषी अभियन्ता (गार्डन)/सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा।
13. प्रभारी अधिकारी नागरिक सेवा केन्द्र जविप्रा।

(पवन अरोडा)
सचिव